बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

Urgent
Fax/Mail

संख्या –17 ऑनलाईन दाखिल–खारिज (सॉफ्टवेयर)–243/2017–1746

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०से०
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप–सह–
अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 20.11.2017

विषय : – ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के उद्देश्य से जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कार्य के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–1667, दिनांक–03.11.2017

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के उद्देश्य से जमाबंदी पंजी के कम्प्यूटराईजेशन कराने संबंधी दिशा–निदेश उपलब्ध कराया गया था। उक्त पत्र की कंडिका–घ में उल्लेखित है कि "वर्तमान में श्रग संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दर प्रतिदिन 313/– रूपये देय होगा, किन्तु उसके लिए न्यूनतम 250 जमाबंदी की शुद्ध प्रविष्टियां किया जाना अनिवार्य होगा।"

इस संबंध में विभिन्न जिलों से प्राप्त पत्रों द्वारा यह परामर्श/मंतव्य उपलब्ध कराया गया कि कतिपय कारणों यथा– कम्प्यूटर का स्पीड, डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो की क्षमता, जमाबंदी पंजी की भौतिक स्थिति इत्यादि के कारणों से वर्तमान में 250 जमाबंदियों का शुद्ध इन्ट्री नहीं किया जा सकता है। साथ ही कतिपय जिलों द्वारा उक्त कार्य हेतु निजी कम्पनियों के नेट कनेक्शन एवं जेनरेटर इत्यादि की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर सहमति की मांग की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक–16.11.2017 को ऑन–लाईन दाखिल खारिज की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के संबंध में विभाग स्तर पर सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक (ज्ञापांक–1745 दिनांक 20.11.2017) में निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है :–

क) जामाबंदी पंजी के कम्प्यूटरीकरण का कार्य एन०आई०सी० द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर/ऑफलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराया जाएगा, लेकिन जिस जिला के द्वारा ऑन–लाईन प्रविष्टि का निर्णय लिया जाता है, वैसे जिलों के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों की प्रविष्टि ऑन–लाईन की जाएगी एवं जिन जिलों में ऑफ–लाईन प्रविष्टि का निर्णय लिया जाता है, वैसे जिलों के सभी अंचलों की जमाबंदी पंजियों का ऑफ–लाईन प्रविष्टि की जाएगी।

ख) निदेशालय के पत्रांक–1667, दिनांक–03.11.2017 द्वारा निर्गत निदेश 250 जमाबंदियों के शुद्ध प्रविष्टियों को घटाकर 150 जमाबंदियों की शुद्ध प्रविष्टियां किया जाना अनिवार्य किया गया है।

ग) जमाबंदी पंजी के डाटा इन्ट्री कार्य हेतु निजी कम्पनियों के नेट कनेक्शन लिया जा सकता है।

कृ०पृ०उ०

घ) उक्त कार्य हेतु जिला में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं जेनरेटर इत्यादि का उपयोग किया जायेगा, भाड़े पर अलग से कम्प्यूटर एवं जेनरेटर नहीं लिया जायेगा एवं इसके लिए अलग से कोई आवंटन देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
–सह– अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक –17 ऑनलाईन दाखिल–खारिज (सॉफ्टवेयर)–243/2017–1746 **पटना, दिनांक** : 20.11.2017

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी डी0सी0एल0आर0/सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
–सह– अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक –17 ऑनलाईन दाखिल–खारिज (सॉफ्टवेयर)–243/2017–1746 **पटना, दिनांक** : 20.11.2017

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर पकाशित करने तथा सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
–सह– अपर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।